-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2022 में थाना बबेरु क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों के मामले में अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 07.09.2022 को थाना बिसंडा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पारा डभनी के रहने वाले अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र बद्री प्रसाद द्वारा थाना बबेरु क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस सम्बन्ध में पीड़िता की माँ की तहरीर पर थाना बबेरु पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी मानवेन्द्र सिंह व दीक्षा श्रीवास्तव तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा धारा 376/504 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **राकेश कुमार पुत्र बद्री प्रसाद निवासी पारा डभनी थाना बिसंडा जनपद बांदा।**